(1148)

संख्याः 71/P/XXIV-3/11/02(126)/2006

प्रेषक,

सुबर्द्धन,
अपर सचिव (स्वतन्त्र प्रभार)
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3 देहरादून, दिनांकः20सितम्बर, 2011

विषयः वित्तीय वर्ष 2011–12 में अनुसूचित जाति उप योजना (एस0सी0एस0पी0) के अन्तर्गत माध्यमिक विद्यालयों के चालू भवन निर्माण कार्य हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 5ख(2)/27389/एस0सी0एस0पी0/2011–12 दिनांक 22 जुलाई 2011 एवं पत्र संख्याः 5ख(2)/29774/एस0सी0एस0पी0/2011–12 दिनांक 25 जुलाई, 2011 तथा पत्र संख्याः 5ख(1)/37860/एस0सी0एस0पी0/2011–12 दिनांक 20 अगस्त, 2011 के संबंध में तथा शासनादेश संख्या 1988/XXIV–3/2007/02(126)2006 दिनांक 13 मार्च 2008 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान (एस.सी.एस.पी.) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष में निम्नांकित तालिका के स्तम्भ–2 में उल्लिखित 04 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के भवन निर्माण कार्यों हेतु स्तम्भ–3 में उल्लिखित अनुमोदित लागत के सापेक्ष स्तम्भ–4 में अंकित पूर्व में स्वीकृत धनराशि को समायोजित करते हुये स्तम्भ–5 पर अंकित विवरणानुसार कुल ₹ 172.00 लाख (रूपये एक करोड़ बाहत्तर लाख मात्र) की धनराशि को प्रश्नगत योजनान्तर्गत आपके निर्वतन पर रखते हुये नियमानुसार व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान करते हैं:

(धनराशि लाख रूपयों में)

क्रमांक	विद्यालय का नाम	अनुमोदित लागत	पूर्व में स्वीकृत धनराशि	स्वीकृति हेतु संस्तुत धनराशि
01	02	03	04	05
01	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सुनाऊ, चमोली।	81.40	61.40	20.00
02	राजकीय इण्टर कॉलेज, सैज खतौनी, चमोली।	108.45	78.45	30.00
03	राजकीय इण्टर कॉलेज, बुगलगढ़ी, पौड़ी।	82.45	24.45	58.00
04	राजकीय इण्टर कॉलेज, बाड़व, रूद्रप्रयाग।	90.85	26.85	64.00
	कुल योग	363.15	191.15	172.00

1. उपर्युक्त विद्यालय के अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र के ग्रामों/वार्डो में स्थित होने पर ही धनराशि को व्यय किया जायेगा।
2. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय, जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।

क्रमशः–2–

3. कार्य हेतु स्वीकृत धनराशि अवमुक्त करने से करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल ऑफ रेट्स में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।

4. कार्य हेतु स्वीकृत धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व उक्त कार्य के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था से वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 475/XXVII(07)2008, दिनांकः 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर एम0ओ0यू0 अवश्य हस्तान्तरित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

5. एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाए।

6. कार्य करने से पूर्व विस्तृत आंगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

7. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

8. आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारंभ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 में उल्लिखित नियमों का पालन कड़ाई से किया जाय।

9. कार्य कराने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल का भली–भॉति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य किया जाय।

10. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।

11. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 2047/XIV–219(2006) दिनांकः 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का, कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन कराना सनिश्चित किया जाय।

12. उक्त विद्यालयों के भवन निर्माण कार्यों को चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण कराकर भवन विभाग को हस्तगत कराया जाना सुनिश्चित किया जाय। कार्यो हेतु स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष अपेक्षित वित्तीय/भौतिक प्रगति हेतु निरंतर अनुश्रवण कर कार्य पूर्ण कराया जाय।

13. अनुमोदित लागत पर ही निर्माण कार्यों को पूर्ण किया जाय, उक्त विद्यालयों के भवन निर्माण कार्यो को इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कराकर भवन विभाग को हस्तगत करा लिया जाना सुनिश्चित करें। किसी भी दशा में आंगणन को पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा।

2. उपर्युक्त धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाय और जहाँ आवश्यक हो, व्यय करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर यथा समय शासन तथा महालेखाकार को उपलब्ध करा दिया जाय। स्वीकृति की प्रत्याशा में अनानुमोदित व्यय कदापि न किया जाय।

क्रमशः–3–

3. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या 30 के अधीन लेखा शीर्षक 4202–शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 01–सामान्य शिक्षा, 00–आयोजनागत, 202–माध्यमिक शिक्षा, 02–अनु0सू0जा0 के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान, 0201–अ0सू0जा0 बाहुल्य क्षेत्रों में रा0हा0, इ0कालेजों के भवनहीन भवनों का निर्माण, 24–वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 177(P)XXVII (3) 2011–12 दिनांकः 16 सितम्बर, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(सुबर्द्धन)
अपर सचिव (स्वतन्त्र प्रभार)

<u>पृष्ठांकन संख्या: 71/P/XXIV-3/11/02(126)/2006 तद्दिनांकित।</u>

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. निजी सचिव, सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
6. मण्डलायुक्त, गढ़वाल मण्डल पौडी गढ़वाल।
7. अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल पौड़ी गढ़वाल।
8. जिलाधिकारी चमोली / पौड़ी / रूद्रप्रयाग।
9. कोषाधिकारी, चमोली / पौड़ी / रूद्रप्रयाग।
10. जिला शिक्षा अधिकारी, चमोली / पौड़ी / रूद्रप्रयाग।
11. वित्त अनुभाग–3 / नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड सचिवालय।
12. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
13. संबंधित निर्माण एजेन्सी।
14. कम्प्यूटर सैल (वित्त विभाग), उत्तराखण्ड शासन।
15. एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
16. भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
16. रक्षित पत्रावली।

आज्ञा से,

(जी0पी0तिवारी)
अनु सचिव।